न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/सीलिंग/3277/2003/गंगानगर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर प्रभारी अधिकारी

.....अपीलार्थी

बनाम

नारायणसिंह पुत्र हाकमसिंह – मृतक (जरिये कायममुकाम)
1. अजीतकौर उर्फ सरजीतकौर पत्नि नारायणसिंह
2. जीतकौर पुत्री नारायणसिंह
3. सुखजीतसिंह पुत्र नारायणसिंह
4. इन्द्रजीतसिंह पुत्र नारायणसिंह
5. बूटासिंह पुत्र नारायणसिंह
6. हरदयालसिंह पुत्र नारायणसिंह
7. सुखजीतकौर पुत्री नारायणसिंह
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र नारायणसिंह
9. भूपेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह

–समस्त जाति जटसिख निवासीगण 57 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

.....रेस्पोडेंट्स

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, अपीलान्ट
विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 27–11–2019

यह अपील राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (संक्षेप में एतद्पश्चात् 'अधिनियम 1973') की धारा 23 (2) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 17–04–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. राज्य सरकार द्वारा हस्तगत अपील मियाद से बाधित पेश की है। अतः अपील में कारित विलम्ब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के प्रस्तुत किया है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में उपराजकीय अधिवक्ता को सुना। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण सद्भावी तथा ठोस होने के कारण इन पर विश्वास किया जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी के पति व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के पिता नारायणसिंह के विरूद्ध नये व पुराने कानून के तहत कार्यवाही में उसके धारण में सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होने के कारण कार्यवाही समस्त कर दी गई। जिसका ज्ञान राज्य सरकार को होने पर सरकार ने धारा 15 (1) व 15 (2) नये सीलिंग अधिनियम 1973 के तहत प्रकरण रिओपन कर दिनांक 20-05-1980 के द्वारा पुराना सीलिंग कानून के तहत निर्णय कर प्रकरण को रिओपर कर पत्रावली को अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित की गई। राज्य सरकार के उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने मामले को रिओपन करते हुए विपक्षी को तलब किया। कालान्तर में अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 17-04-2003 पारित किया। उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया कि निर्धारिती नारायण व उसके परिवार के पास निर्धारित तिथि 1-04-1966 को 101-04 बीघा भूमि होना पाया, जिसमें एक बीघा गैरमुमकिन भूमि मानी तथा परिवार में 9 सदस्य होने के कारण 77 बीघा भूमि धारण करने का अधिकारी माना व 23-16 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से उसे अधिग्रहण का आदेश पारित किया। इसी प्रकार नये सीलिंग कानून के तहत निर्धारिती के पास 134-10 बीघा भूमि होना बताया एवं 100 प्रतिशत सिंचाई घनत्वता मानते हुए एवं 3 पुत्रों सुखजीतसिंह, इन्द्रजीतसिंह व बूटासिंह को दिनांक 01-01-1973 को बालिग पुत्र माना। इस कारण कुल 4 यूनिट मानते हुए उसके पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना माना। अतिरिक्त जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–04–2003 से व्यथित होकर राज्य सरकार ने हस्तगत अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

4. हमनें उपराजकीय के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता उपराजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आक्षेपित निर्णय उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत तथा विधि विरूद्ध है तथा उन्होंने आक्षेपित निर्णय को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया जाना बताया। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि मृतक नारायणसिंह के 2 पत्नियां सरजीतकौर व कर्मकौर होना बताया व सरजीतकौर से उसका वैध विवाह था। इस कारण सीलिंग प्रकरण को निस्तारण करते समय धारा 30 (बी) की परिभाषा के अनुसार केवल वैध विवाह को ही मान्यता प्रदान की जानी चाहिए थी। यहीं नहीं उक्त परिभाषा के अनुसार पत्नी, बच्चे, पोते को सम्मिलित किया जा सकता था। जबकि कर्मकौर से वैधानिक विवाह नहीं किया था। इसलिए उसे व उसके बच्चो को परिवार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें परिवार का सदस्य मानकर एवं 9 सदस्य मानकर आदेश पारित करने में भूल की है। उनका तर्क है कि भूमिधारी नारायणसिंह की कथित दूसरी पत्नि कर्मकौर से उसका वैधानिक विवाह नहीं हुआ था, इस कारण उसे व उससे उत्पन्न संतान पुत्रों को सीलिंग परिार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें सम्मिलित कर सीलिंग सीमा का निर्धारण कर आक्षेपित आदेश पारित करने में अनियमितता की है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 17–04–2003 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

6. हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समग्र रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7. प्रश्नगत प्रकरण में अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी के पति नारायणसिंह व अप्रार्थी संख्या 2 से 9 के पिता नारायणसिंह के विरूद्ध पुराने

व नये दोनों सीलिंग कानूनों के तहत कार्यवाही चली और अन्तोगत्वा एसेसी के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए सीलिंग कार्यवाही समाप्त कर दी गई। उक्त निर्णयों की जानकारी राज्य सरकार को होने पर राज्य सरकार ने धारा 15 (1) और 15 (2) के तहत प्रकरण को रिओपन कर प्रकरण विधिनुसार निर्णय पारित करने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रेषित किया। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 17-4-2003 के द्वारा एसेसी नारायणसिंह व उसके परिवार के धारण में दिनांक 23-4-1966 को 101 बीघा 4 बिस्वा नहरी भूमि मानते हुए और परिवार में कुल 9 सदस्य मानते हुए एसेसी को 77 बीघा 8 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी मानते हुए शेष 23 बीघा 16 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण करने के आदेश पारित किए और नये सीलिंग कानून में निर्धारित तिथि 1-1-1973 को एसेसी के धारण में सीलिंग सीमा से कम भूमि होने के कारण नये सीलिंग कानून के तहत प्रकरण को समाप्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने एसेसी के परिवार में कुल 9 सदस्य मानते हुए सीलिंग प्रकरण का निर्धारण किया है।

8. दौराने बहस विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में बताया कि एसेसी मृतक नारायण सिंह की दो पत्नियां सरजीतकौर और कर्मकौर थी। सरजीतकौर से उसका वैध विवाह था। सीलिंग कानून के अनुसार सीलिंग प्रकरण का निस्तारण करते समय धारा 30 (बी) में दी गई परिभाषा के अनुसार केवल वैध विवाह को ही मान्यता प्रदान की जा सकती है। उक्त परिभाषा के अनुसार पत्नि, बच्चे, पोते को सम्मिलित किया जा सकता है। जबकि दूसरी पत्नि कर्मकौर से वैधानिक विवाह नहीं किया था। इसलिए उसे व उसके बच्चों को परिवार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें परिवार का सदस्य मानकर एवं परिवार में कुल 9 सदस्य मानकर सीलिंग प्रकरण का निस्तारण किया है। इसके अलावा एसेसी ने जो घोषणा पत्र दिनांक 21-1-1972 को पेश किया था उसमें एसेसी के पुत्र उपेन्द्रसिंह की आयु 2 वर्ष बताई गई थी, इस हिसाब से निर्धारित तिथि 1-4-1966 को उसका जन्म ही नहीं हुआ था। अतः इस बाबत ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल प्रमाण पत्र पेश नहीं किए गए है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि दिनांक 1-4-1966 से पूर्व वह पैदा हो

चुका था और वह परिवार का सदस्य था। इस प्रकार कर्मकौर व उसके दो पुत्र भूपेन्द्र सिंह व जीतकौर को कम कर सीलिंग सीमा का निर्धारण परिवार के सदस्यों के अनुसार करना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

9. परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 17-04-2003 निरस्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस निर्णय में किए गए उक्त विवेचन के अनुसार प्रकरण का पुनः परीक्षण करते हुए उभयपक्ष को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य